प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
प्र. ई. रि. स. – 66/22 दिनांक – 01/03/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7, 7ए
(ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
(स) अधिनियम – .... धाराये – ....
(द) अन्य अधिनियम – धाराये – 120 बी आईपीसी
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 8 समय – 1:35 pm
ब. अपराध के घटने का दिन – सोमवार, दिनांक – 28.02.2022 समय – 11.05 ए.एम.
स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21.02.2022 समय – 01.15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उत्तर 175 किलोमीटर लगभग
(ब) पता :– मध्यस्थ कुन्दनाराम का मकान, मेघवालों का बास, कस्बा बाप जिला जोधपुर।
बीट संख्या जरायमदेही संख्या
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
1. (अ) नाम – सिद्वराज सिंह (ब) पिता/पति का नाम – श्री रतनाराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष – 31 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
(य) व्यवसाय – विधार्थी (र) पता – ग्राम राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
1. श्री डालसिंह पुत्र श्री ताराचन्द उम्र 38 साल जाति मेघवाल निवासी इन्द्रपुरा पोस्ट बिजांवास तहसील हमीरवास जिला चुरू हाल पटवारी, पटवार मण्डल बारू अतिरिक्त प्रभार राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर।
2. श्री कुन्दनाराम पुत्र श्री मनसुखराम उम्र 39 साल जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, बाप जिला जोधपुर (मध्यस्थ)
3. श्री विकास पुत्र श्री पवन जाति धानक निवासी धन्धेउं रामसिंह, तहसील राजगढ जिला चुरू हाल कार्य सहायक प्राईवेट व्यक्ति।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 5,000/– रू.**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............. कोई नहीं...........
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट..

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महो.
एसीबी (स्पेशल यूनिट) जोधपुर

विषयः– रिश्वत लेतें हुए रंगे हाथों पकडवानें बाबत।

महोदय,

मुझ प्रार्थी सिद्वराज सिंह पुत्र श्री रतनाराम ग्राम राणेरी जाति बिश्नोई का निवेदन है कि ग्राम राणेरी तहसील बाप में हमारी सामलाती पुश्तेनी जमीन आई हुई है। इस जमीन में हमारें परिवार के हिस्से को शुद्विकरण करवाना है। इसलिए मै श्री डालसिंह पटवारी पटवार मण्डल राणेरी से मिला तो उसनें कहा कि 5000 रूपयें देने होगे। शुद्विकरण करवा दूंगा। तुम जाकर विकास से मिल लो। विकास उनके घर पर स्थित कार्यालय में उनका पूरा काम करता" । तो मै 18–11–21 विकास से मिला। विकास ने कहा कि कागज दे दो व दो हजार रूपयें अभी दे दो। बाकी के 3000 रूपयें काम होनें के समय पटवारी को दे देना। तब मैनें विकास को कागज दे दिय तथा दि. 19–11–21 को 2000 रूपये फोनपे के माध्यम से विकास के मो. न. 9772608232 पर ट्रांसफर कर दिये। उसके दो महिनें बाद भी मेरा काम नही हुआ तों में पटवारी डालसिंह से मिला। तब उन्होनें कहा कि एक एप्लीकेशन नायब तहसीलदार साहब से मार्क करवा के लाओ काम हो जायेगा। तब में मेरे चाचा भंवरलाल को लेकर शुद्विकरण की अर्जी लेकर नायब तहसीलदार से मार्क करवाई जिन्होनें पटवारी से रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट होनें के बाद नायब तहसीलदार द्वारा शुद्विपत्र भरनें हेतु आदेश कर दिया। जो आदेश लेकर तहसील कार्यालय के L R शुद्विपत्र ऑनलाईन करवाकर पटवारी डालसिंह के भतीज विकास को दिया। उसके बाद विकास नें मुझे फोन करके बताया कि बाकी के पेसे नही दोगे तों काम नही होगा। 3000 रू दोगे तो ही काम होगा।

शुद्विपत्र ऑनलाईन होनें के बाद उसके प्रिन्ट पर पटवारी, आर.आई., नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर होनें के बाद फाइनल ऑनलाइन लॉक होता है। पटवारी के हस्ताक्षर होनें के बाद ही अन्य के हस्ताक्षर होकर लॉक होता है।

एक अन्य खसरा में एसडीएम कोर्ट की आदेश की पालना में म्युटेशन करनें विकास को कहा तों उसने कहा कि पहलें 3000 रू दो फिर बात करेगे मै अपना शुद्विपत्र भरवानें के वाजिब काम के लिए पटवारी डालसिंह व उसके दलाल विकास को अब 3000 रूपयें रिश्वत नही देना चाहता हूं। तथा इनकों रिश्वत लेतें हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। पटवारी डालसिंह एवं विकास से मेरी कोई दुश्मनी नही है। न ही इन लोगों से मेरा कोई लेन देन बकाया है।

अतः रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही करावे।

संलग्नः–
1.आधार कार्ड प्रति
2.फोन पे स्क्रीन शोट प्रति
व दस्तावेज

भवदीय
एसडी
(सिद्वराज सिंह पुत्र श्री रतनाराम)
गांव राणेरी त. बाप जोधपुर
मो. 8764343439

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 21.02.2022 समय 1.15 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री सिद्वराज सिंह पुत्र श्री रतनाराम उक्तरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट के साथ कार्यालय उपस्थित आया। मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

एसडी	एसडी	एसडी	एसडी
(Nitin sankhla)	(जयराम)	(सिद्वराज)	(दुर्गसिंह राजपुरोहित)
28/2/2022	28/02/2022		21/02/22 अति.पुलिस अधीक्षक

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 21.02.2022 समय 01.15 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री सिद्वराज सिंह पुत्र श्री रतनाराम जाति बिश्नोई उम्र 31 साल निवासी गांव राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि " मुझ प्रार्थी सिद्वराज सिंह पुत्र श्री रतनाराम ग्राम राणेरी जाति बिश्नोई का निवेदन है कि ग्राम राणेरी तहसील बाप में हमारी सामलाती पुश्तेनी जमीन आई हुई है। इस जमीन में हमारें परिवार के हिस्से को शुद्विकरण करवाना है। इसलिए मै श्री डालसिंह पटवारी पटवार मण्डल राणेरी से मिला तो उसनें कहा कि 5000 रूपयें देने होगे। शुद्विकरण करवा दूंगा। तुम जाकर विकास से मिल लो। विकास उनके घर पर स्थित कार्यालय में उनका पूरा काम करता"। तो मै 18–11–21 विकास से मिला। विकास ने कहा कि कागज दे दो व दो हजार रूपयें अभी दे दो। बाकी के 3000 रूपयें काम होनें के समय पटवारी को दे देना। तब मैनें विकास को कागज दे दिये तथा दि. 19–11–21 को 2000 रूपये फोनपे के माध्यम से विकास के मो. न. 9772608232 पर ट्रांसफर कर दिये। उसके दो महिनें बाद भी मेरा काम नही हुआ तों में पटवारी डालसिंह से मिला। तब उन्होनें कहा कि एक एप्लीकेशन नायब तहसीलदार साहब से मार्क करवा के लाओ काम हो जायेगा। तब में मेरे चाचा भंवरलाल को लेकर शुद्विकरण की अर्जी लेकर नायब तहसीलदार से मार्क करवाई जिन्होनें पटवारी से रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट होनें के बाद नायब तहसीलदार द्वारा शुद्विपत्र भरनें हेतु आदेश कर दिया। जो आदेश लेकर तहसील कार्यालय के L.R शुद्विपत्र ऑनलाईन करवाकर पटवारी डालसिंह के भतीज विकास को दिया। उसके बाद विकास नें मुझे फोन करके बताया कि बाकी के पेसे नही दोगे तों काम नही होगा। 3000 रू दोगे तो ही काम होगा। शुद्विपत्र ऑनलाईन होनें के बाद उसके प्रिन्ट पर पटवारी, आर.आई., नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर होनें के बाद फाइनल ऑनलाइन लॉक होता है। पटवारी के हस्ताक्षर होनें के बाद ही अन्य के हस्ताक्षर होकर लॉक होता है। एक अन्य खसरा में एसडीएम कोर्ट की आदेश की पालना में म्युटेशन करनें विकास को कहा तों उसने कहा कि पहलें 3000 रू दो फिर बात करेगे मै अपना शुद्विपत्र भरवानें के वाजिब काम के लिए पटवारी डालसिंह व उसके दलाल विकास को अब 3000 रूपयें रिश्वत नही देना चाहता हूं। तथा इनकों रिश्वत लेंतें हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। पटवारी डालसिंह एवं विकास से मेरी कोई दुश्मनी नही है। न ही इन लोगों से मेरा कोई लेन देन बकाया है। अतः रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही करावे।" परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से निकलवाकर मंगवाया गया तथा परिवादी श्री सिद्वराज सिंह को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई।

वक्त 01.45 पी.एम. पर कार्यालय के श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265. व परिवादी श्री सिद्वराज सिंह का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी श्री सिद्वराज सिंह नें बताया कि पटवारी अभी किसी कार्य से जयपुर गया हुआ है। उसके जयपुर से आनें पर मै आपकों फोन से सूचित कर दूंगा। तभी पटवारी से मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड हो सकेगी। जिस पर कानि. श्री प्रकाश नम्बर 265 को हिदायत दी गई कि जब भी परिवादी का फोन आयें तो आप मेरे से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर लेकर पटवारी श्री डालसिंह पटवार मण्डल राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर व परिवादी के मध्य मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करके लेकर आवे। परिवादी कों कानि. श्री प्रकाश के मोबाईल नम्बर 8112297571 भी उपलब्ध करवाये गये। इसके बाद परिवादी श्री सिद्वराज सिंह को कार्यवाही की गोपनीयता बरतनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

दिनांक 25.02.2022 वक्त 08.20 ए .एम. पर श्री प्रकाश कानि. नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री सिद्वराज सिह का मेरे पास फोन आया और बताया कि परिवादी जयपुर से आ गया है और आज वो बाप में अपनें घर पर ही मिल जायेगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर रवाना करतें हुए हिदायत दी गई कि आप बाप पहुंचकर परिवादी श्री सिद्वराज सिह सें सम्पर्क कर आरोपी पटवारी श्री डालसिंह पटवार मण्डल राणेरी व परिवादी के मध्य मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करके लेकर आवे।

दिनांक 26.02.2022 वक्त 01.15 पी .एम. पर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर बताया कि मै दिनांक 25.02.2022 को कार्यालय से रवाना होकर 1 पी.एम. के आसपास बाप पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री सिद्धराज सिंह उपस्थित मिला। जिसनें बताया कि पटवारी श्री डालसिंह अभी घर पर नही है। मुझे गोपनीय रूप से पता चलेगा तब वहां पटवारी के निवास स्थित निजी कार्यालय में चलकर उससे मांग सत्यापन वार्ता की जायेगी। जिस पर मन् कानि. परिवादी के साथ गोपनीय स्थान पर मुकिम रहे। देर शाम परिवादी को गोपनीय सूचना मिली कि पटवारी श्री डालसिंह व उसका कार्य सहायक विकास पटवारी के बाप स्थित निवास स्थान के निजी कार्यालय में बैठे हैं। जिस पर समय 7.55 पी.एम. पर मन् कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी श्री सिद्धराज सिंह को सुपुर्द कर मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु पटवारी के निवास की ओर रवाना किया तथा स्वयं आस पास गोपनीय रूप से मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी पुनः मेरे पास आया तथा रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैंने ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि ''पटवारी श्री डालसिंह एवं उनका कार्य सहायक श्री विकास से मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। श्री विकास ने जो 2000 रू. मेरे कार्य को कराने की एवज में फोन–पे से लिये थे, वो स्वीकार किये एवं पटवारी श्री डालसिंह ने विकास को दिये गए उक्त 2000 रूपये के अतिरिक्त स्वयं के लिए मेरे कार्य के पेपर के वजन के अनुसार मान–सम्मान वाली राशि का कहकर हाथ से 5000 रूपये का इशारा किया।'' जिस पर बाद उपरोक्त के मन् कानि. ने आप श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर अब तक कार्यवाही को गोपनीय रखते हुए सम्पर्क कर एसीबी एसयू कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर बाप में ही छोड़ा तथा स्वयं देर रात होने से बाप के आसपास ही मुकिम रहा तथा आज दिनांक को रवाना होकर अब कार्यालय उपस्थित आया हूं। जिस पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री सिद्धराज सिंह के बताये गये तथ्य की पुष्टि हुई। मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा।

दिनांक 27.02.2022 वक्त 7.00 पी.एम. पर प्रकाश कानि. ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री सिद्धराज सिंह ने जरिये व्हॉट्सएप कॉल कर कहा कि ''पटवारी श्री डालसिंह कल बाप में स्थित अपने निवास के निजी कार्यालय में ही मिलेगा। पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है तथा मैं कल दिनांक 28.02.2022 को अलसुबह एसीबी एसयू कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा।'' जिस पर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु सहायक अभियंता, ए–6, डिगाड़ी, जोधपुर डिस्कॉम को जरिये तहरीर क्रमांक 450 दिनांक 27.02.2022 के दो गवाहों को दिनांक 28.02.2022 को समय प्रातः 7.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद करने हेतु अनुरोध किया गया।

दिनांक 28.02.2022 वक्त 7.10 ए.एम. पर परिवादी श्री सिद्धराज सिंह एवं जोधपुर डिस्कॉम से दो कार्मिक पूर्व से पाबन्द शुदा बतौर स्वतंत्र गवाह कार्यालय हाजा उपस्थित आये। स्वतंत्र गवाह से परिचय करने पर उन्होने बारी–बारी अपना परिचय श्री नितिन सांखला पुत्र श्री हुकम सिह सांखला जाति माली उम्र 28 साल निवासी सांखलों का बास मगरा पूंजला पुलिस थाना मण्डोर जिला जोधपुर, हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए–6 डिगाडी, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर मोबाईल नम्बर 7597804375 एवं श्री जयराम चौधरी पुत्र श्री पूसाराम चौधरी जाति जाट उम्र 41 साल निवासी मकान नम्बर 42, तेतरवालो का बास, खोखरिया तहसील जोधपुर जिला जोधपुर हाल हैल्पर द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए–6 डिगाडी, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर मोबाईल नम्बर 7737886601 होना बताया। जिनका परिचय परिवादी से करवाया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सिद्धराज सिंह द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को पढकर दोनो गवाहान को सुनाई गई और दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढवायी गई। परिवादी की रिपोर्ट को पढ–सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की रिपोर्ट के संलग्न फोटो प्रतियों पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 25.02.2022 कों परिवादी श्री सिद्धराज सिंह एवं पटवारी श्री डालसिंह एवं पटवारी के कार्य सहायक श्री विकास के मध्य रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित वार्ता के मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। इसी दौरान परिवादी श्री सिद्धराज सिंह ने रूबरू गवाहान के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री डालसिंह पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि कुल 5000 रूपये व्यवस्था करके आपके पास उपस्थित हुआ हूं।

दिनांक 28.02.2022 वक्त 7.30 ए.एम. पर दोनों गवाहान के परिवादी श्री सिद्दराज सिंह पुत्र श्री रतनाराम जाति बिश्नोई उम्र 32 साल निवासी गोदारो की ढाणी, ग्राम राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री सिद्दराज सिंह ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ रूपयें के 10 नोट कुल राशि 5,000 रूपये पेश किये। जिस पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। परिवादी श्री सिद्दराज सिंह द्वारा प्रस्तुत नोटों पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 ने मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 5000 रूपये के नोटो पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सिद्दराज सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री नितिन सांखला से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 8764343439 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 5000 रूपये जो श्री डालसिंह पटवारी को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी सिद्दराज सिंह के पहने हुए कमीज के सामनें की बांयी जेब में श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सिद्दराज सिंह को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर के मोबाईल नं. 9460453110 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों एवं दोनों सफेद लिफाफो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। अब तक की कार्यवाही के हालात उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को निवेदन किये जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

वक्त 8.10 ए.एम. पर परिवादी श्री सिद्दराज सिंह को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा खर्चे के 6,500 रूपये अपने पास रखे।

वक्त 8.20 ए.एम. पर मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सांखला एवं श्री जयराम चौधरी, ब्यूरो जाब्ता श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89, श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ कानि. 13, श्री भंवरलाल कानि. 501, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री अर्जुनसिंह कानि. 319 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के अलग–अलग सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खमाराम कानि. चालक एवं श्री गणेश कानि. 219 चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से बाप के लिए रवाना हुए।

वक्त 12.25 पी.एम. पर हालात इस प्रकार से है कि उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा वक्त 10.55 ए. एम. पर बाप कस्बे से पहले मुख्य राजमार्ग पर पहुंचे। श्री प्रकाश कानि. 265 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी को आरोपी पटवारी से मिलने से पूर्व ऑन कर देने की हिदायत कर परिवादी के साथ श्री डालसिंह पटवारी के निवास की ओर पैदल रवाना किया गया। श्री प्रकाश कानि. एवं परिवादी के पीछे–पीछे श्री भवंरलाल कानि. को हिदायत कर पैदल रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष हमरायन के बाप कस्बा स्थित मुख्य राजमार्ग से लिंक रोड़ पर ब्यूरो के सरकारी वाहनों को गोपनीय रूप से खड़ा करवाकर रिश्वत राशि लेन–देन के इंतजार में मुकिम हुए।

वक्त 11.05 ए.एम. पर परिवादी श्री सिद्धराज सिंह ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा श्री प्रकाश कानि. को कर रिश्वत राशि लेन–देन होने की सूचना दी। तब श्री प्रकाश कानि. ने अपने मोबाइल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाइल नम्बर 9460453110 पर कॉल कर रिश्वति राशि लेन–देन होने की सूचना दी। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायन के लेन–देन स्थान आरोपी श्री डालसिंह पटवारी के निवास स्थान की ओर दोनों सरकारी वाहनों के रवाना होकर पहुंचा, जहां पर श्री प्रकाश कानि. एवं श्री भंवरलाल कानि. मय परिवादी के उपस्थित मिले। जहां परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री प्रकाश कानि. द्वारा पूर्व में हिदायत अनुसार प्राप्त एवं स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। जिसको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। परिवादी ने मौके पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि 'आरोपी ने मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने मकान मालिक, जिनकी उक्त आवास में ही किराणा की दुकान है, को दे दी है जो उक्त रिश्वत राशि को लेकर कहीं चला गया है तथा आरोपी स्वयं अपने निवास में ही है साथ ही उक्त निवास में उपस्थित एक व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि यही पटवारी डालसिंह है।' जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त निवास में उपस्थित व्यक्ति को अपना एवं हमरायन का परिचय देते हुए मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना परिचय श्री डालसिंह पुत्र श्री ताराचंद, उम्र 38 साल, जाति मेघवाल, निवासी इन्द्रपुरा, पोस्ट बींजावास, तहसील हमीरवास, जिला चुरू हाल पटवारी, पटवार मण्डल बारू, अतिरिक्त प्रभार राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर होना बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री डालसिंह के दोनों हाथ कलाई से ब्यूरो जाब्ता श्री अर्जुन सिंह कानि. 319 एवं श्री गणेश कानि. 219 से पकड़वाये गये तथा श्री डालसिंह को परिवादी से 5000 रूपये रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी ने परिवादी से किसी भी प्रकार की रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करना बताया। श्री डालसिंह पटवारी के कथन पर परिवादी ने खण्डन कर बताया कि 'यही पटवारी डालसिंहजी है जिन्होने मेरे पुश्तैनी सामलाती जमीन में नाम शुद्धीकरण की एवज में मुझसे अभी थोड़ी देर पहले 5000 रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुए निकर की दाहिनी जेब में रखे तथा उक्त राशि पटवारी के निवास के बाहरी हिस्से में स्थित किराणा दुकानवाले को मेरे सामने ही दे दी, जो उक्त राशि को लेकर कहीं चला गया है।' जिस पर आरोपी पटवारी डालसिंह से 'रिश्वत राशि किसको दी?', पूछा गया तो उसने बताया कि 'मैंने परिवादी श्री सिद्धराज सिंह से रिश्वत राशि 5000 रूपये गिनकर प्राप्त कर निकर की दाहिनी जेब में रखे फिर मैंने मेरे मकान मालिक श्री कुन्दनाराम, जिनकी इसी मकान में बाहर किराणे की दुकान स्थित है, को दे दी। जिसे मैं फोन कर बुला लेता हूं।' मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा तसल्ली से पूछने पर आरोपी श्री डालसिंह पटवारी ने यह भी बताया कि 'अधिकतर परिवादीयों के काम के बदले जो मैं पैसे लेता हूं वह राशि श्री कुन्दनाराम को दे देता हूं और आवश्यकता पड़ने पर एक साथ वापस ले लेता हूं।' इसके बाद श्री डालसिंह ने अपने उक्त मकान मालिक श्री कुन्दनाराम को जरिये मोबाइल फोन कर बुलाया तो कुछ देर बाद आरोपी पटवारी के निवास के बाहर स्थित दुकान पर एक व्यक्ति आया। जिससे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री कुन्दना राम पुत्र श्री मनसुख राम, उम्र 39 साल, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का वास, बाप, जिला जोधपुर होना बताया। श्री कुन्दनराम को श्री डालसिंह पटवारी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बंध में पूछा गया तो उसने बताया कि "मुझे थोड़ी देर पहले पटवारीजी ने 5000 रूपये देकर कहा कि 'यह 5000 रूपये की राशि कहीं छुपा आओ, बाद में मैं आपसे ले लूंगा।' जिस पर मैंने उक्त राशि प्राप्त कर अपने पहने हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे तथा यहां से कुछ दूरी पर स्थित अपने निवास स्थान में जाकर अपने कमरे में पत्थर की पछीत के उपर रखे हैं।' जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री कुन्दनाराम को कहा गया कि श्री डालसिंह द्वारा आपको दी गई 5000 रूपये की राशि परिवादी श्री सिद्धराज सिंह से बतौर रिश्वत के प्राप्त कर आपको दी गई है। अतः उक्त राशि आप ब्यूरो को अविलम्ब सुपुर्द करें। इस पर श्री कुन्दनाराम मध्यस्थ ने कहा कि 'आप मेरे साथ चलिए मैं मेरे कमरे में रखी उक्त रिश्वत राशि 5000 रूपये आपको साथ चलकर सुपुर्द कर दूंगा।" जिस पर श्री मेघराज हैड कानि. मय श्री अर्जुनसिंह कानि. 319, श्री गणेशराम कानि. 219 को श्री डालसिंह पटवारी को सुपुर्द कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री कुन्दनाराम को साथ लेकर मय स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरो जाब्ता मय श्रीमति मधुमति हैड कानि. 89 के श्री कुन्दनाराम मध्यस्थ के जरिये सरकारी वाहन के पास ही स्थित निवास स्थान पहुंचा। श्री कुन्दनाराम ने अपने मकान में प्रवेश के बाद बाईं ओर स्थित कमरे में राशि होना बताया जिस पर उसके बताये अनुसार स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सांखला से कमरे में पत्थर की पछीत के उपर रखी राशि उठवाई गई तो उक्त राशि 500–500 रूपये के 10 नोट होना पाई गई जिसे श्री जयराम चौधरी को फर्द पेशकशी सुपुर्द कर नोटों के नम्बर बोलकर श्री नितिन सांखला से मिलान करवाया गया तो राशि फर्द पेशकशी के अनुसार हुबहू होना पाई गई। उक्त रिश्वत राशि श्री नितिन सांखला के पास ही रहने दी गई। मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम द्वारा उक्त राशि पत्थर की पछीत पर रखी पाई गई, जहां पर बहुत अधिक धूल–मिट्टी थी, इस कारण उक्त रिश्वत राशि बरामदगी स्थान का धोवन लिया जाना सम्भव नहीं होने से धोवन नहीं लिया गया। मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम के दोनों हाथ कलाई से ब्यूरो जाब्ता श्री प्रकाश कानि. 265 एवं श्री भंवरलाल कानि. 501 से पकड़वाये गये। बाद बरामद रिश्वत राशि मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक मय हमरायन के श्री कुन्दनाराम के निवास स्थान से रवाना होकर श्री डालसिंह पटवारी के निवास स्थान पर पहुंचा तथा श्री डालसिंह पटवारी को अपने जिम्मे लिया। श्री डालसिंह पटवारी जो निकर पहने हुए हैं, के द्वारा लॉवर पहनाकर साथ लेकर चलने के निवेदन करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री डालसिंह को निकर के उपर ही लॉवर पहनने की अनुमति दी। इसी दौरान तलबशुदा पुलिस थाना बाप से पुलिस जाब्ता मय महिला कानि. इमदाद हेतु उपस्थित आये जिन्हें कार्यवाही में सुरक्षा की दृष्टि से साथ रहने की हिदायत की गई।

आरोपी श्री डालसिंह से परिवादी श्री सिद्धराज सिंह के पैण्डिंग कार्य से सम्बंधित कागजात के सम्बंध में पूछा गया तो आरोपी ने अपने निवास में स्थित उक्त कार्यालय में रखी टेबल पर रखे कागजात में से परिवादी से सम्बंधित का ईशारा कर कागजात बताये जिन्हें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे लिये।

दर्ज रहे कि मौके पर अग्रिम कार्यवाही की जाने की उचित व्यवस्था नहीं होने एवं भीड़ एकत्रित होने से सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना बाप में करने का निर्णय लिया जाकर पटवारी निवास में संचालित पटवारी कार्यालय को ताला लगवाकर चाबी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने जिम्मे रखी तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायन, श्री डालसिंह पटवारी, बरामदशुदा रिश्वत राशि एवं श्री कुन्दनाराम मध्यस्थ मय काले रंग के मेसेन्जर बैग जो मध्यस्थ के कन्धे पर था, को यथावत साथ रखा जाकर सरकारी वाहनों से मय पुलिस जाब्ता के रवाना होकर पुलिस थाना बाप पहुंचे।

पुलिस थाना बाप में श्री दीपसिंह, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना बाप उपस्थित मिले। जिन्हें ब्यूरो द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाते हुए अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाने में किये जाने से अवगत करवाने पर श्री दीपसिंह ने कार्यवाही हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी सिद्धराज सिंह एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री डालसिंह पटवारी के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में पुलिस थाने में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासों को आधा-आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनों गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे सम्बंधितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री डालसिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सम्बंधितगण ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 एवं आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री डालसिंह के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झाइनुमा हो गया जिसे सम्बंधितगण ने रंग झाइनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया।

आरोपी श्री डालसिंह पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 5000 रूपये प्राप्त कर गिनकर अपने पहने हुए निकर की दाहिनी जेब में रखे गये थे, जिससे आरोपी के उक्त निकर बरंग काला की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री डालसिंह के पहने हुए लॉवर को उतरवाकर नीचे पहने हुए निकर को उतरवाया गया तथा पुनः लॉवर पहनवाया गया। उक्त निकर की दाहिनी जेब के धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से एक कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलास में पुलिस थाने में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच की गिलास को आधा भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे सम्बंधितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री डालसिंह के निकर की दाहिनी जेब को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सम्बंधितगण ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एन.-1 एवं एन. -2 अंकित किया गया। आरोपी के उक्त निकर की दाहिनी जेब जहां परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर रखी गई थी, पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर उक्त निकर को एक कपडें की थैली में सील मोहर कर थैली में प्रकरण का विवरण अंकित करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एन अंकित कर कब्जा ब्यूरो लिया गया।

तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री नितिन सांखला के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि से स्वतंत्र गवाह श्री जयराम चौधरी को फर्द पेशकशी से पुनः मिलान करने पर तो फर्द पेशकशी के अनुसार राशि 5000 रूपयें फर्द के मुताबिक होना पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 GM 329649

2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 CV 562385
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 HM 065397
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 KD 136799
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 FB 370382
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 AE 502079
7.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 ME 396325
8.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 PG 169497
9.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 RC 213006
10.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 KM 461880

उक्त भारतीय मुद्रा 5,000 रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री डालसिंह पटवारी की जामा तलाशी गवाह श्री नितिन सांखला से लिरवाई गई तो आरोपी श्री डालसिंह के पहनी हुए पेन्ट की की दायी जेब में वीवो कम्पनी का टचस्क्रिन मोबाइल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 867205046234172 एवं 2. 867205046234164 जिसमें क्रमशः जीओ कम्पनी की सिम जिसके नम्बर 6376038751 व दूसरी एयरटेल कम्पनी की सिम जिसके नम्बर 8290605050 होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरो लिया गया। इसके उपरांत आरोपी श्री डालसिंह के पहनी हुई पैन्ट की बायी जेब में पर्स मिला। जिसमें श्री डालसिंह के नाम का एक आधार कार्ड जिसके नम्बर 3164–0060–1278 तथा श्री डालसिंह का विभागीय परिचय–पत्र पाया गया। साथ ही उक्त पर्स मे भारतीय मुद्रा के 500 रूपये के 14 नोट, 100 रूपये के 20 नोट कुल राशि 9000 रूपये पाये गये जिनके बारे में पूछने पर आरोपी श्री डालसिंह द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आधार कार्ड, विभागीय परिचय–पत्र तथा संदिग्ध राशि 9000 रूपये मय पर्स कब्जा ब्यूरो लिये गये।

ताबाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी सिद्धराज सिंह एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में पुलिस थाने में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा–आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनों गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे सम्बंधितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार घोल में मध्यस्थ श्री कुन्दनराम के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सम्बंधितगण ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 एवं आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम के बायें हाथ की अगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झाइनुमा हो गया जिसे सम्बंधितगण ने रंग झाइनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम की जामा तलाशी गवाह श्री जयराम चौधरी से लिरवाई गई तो मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम के पहनी हुए पेन्ट की आगे की दायी जेब में वीवो कम्पनी का टचस्कीन मोबाइल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 867663045157770 एवं 2. 867663045157762 जिसमें जीओ कम्पनी की सिम जिसके नम्बर 8118815621 होना पाई गई तथा नोकिया कम्पनी का एक की–पेड मोबाइल जिसके आईएमईआई नम्बर 358040746759848 जिसमें एयरटेल कम्पनी की सिम जिसके नम्बर 9413251287 होना पाई गई। उक्त दोनों मोबाईल फोन मय सिम के कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरो लिया गया। इसके अतिरिक्त मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम के पास मिले काले रंग के मेसेन्जर बैग जो मध्यस्थ के कन्धे पर यथावत साथ रखा गया था कि तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जयराम चौधरी से लिवाई गई तो उक्त बैग में श्री कुन्दनाराम के नाम का एक आधार कार्ड जिसके नम्बर 4150–0168–7606 एवं दुकान की चाबीयां पाईं गईं। इसके अतिरिक्त मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम के उक्त बैग में कुछ डायरियां जिसमें से एक 'सुपर फाइन कॉपी' लिखी हुई हिसाब की डायरी भी मिली, जिसमें आरोपी श्री डालसिंह पटवारी एवं अन्य व्यक्तियों से लेन–देन के सम्बंध में संदिग्ध इन्द्राज होना पाये गये। डायरी के प्रथम पृष्ठ एवं प्रविष्टि हुए पृष्ठ संख्या 24 पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। साथ ही उक्त बैग में भारतीय मुद्रा के 2000 रूपये के 11 नोट, 500 रूपये के 54 नोट, 200 रूपये के 13 नोट, 100 रूपये के 13 नोट, 50 रूपये के 2 नोट, 20 रूपये के 12 नोट, 10 रूपये के 85 नोट; कुल राशि 54090 रूपये पाये गये जिनके बारे में पूछने पर मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उक्त आधार कार्ड, हिसाब किताब की डायरी तथा संदिग्ध राशि 54090 रूपये मय कब्जा

ब्यूरो लिये गये तथा मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम का उक्त काला बैग मय दुकान की चाबी एवं अन्य डायरियों के श्री कुन्दनाराम के कहे अनुसार थाने पर उपस्थित उनके भाई श्री बुद्धाराम को सुपुर्द किये गये।

इसके उपरांत मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम द्वारा आरोपी पटवारी श्री डालसिंह से रिश्वत राशि 5000 रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुए जीन्स पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे गये थे, जिससे मध्यस्थ के उक्त जीन्स पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री कुन्दनाराम के पहनी हुई पैन्ट को उतरवाकर अन्य पैन्ट की व्यवस्था करवाई जाकर उक्त जीन्स पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब के धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से एक कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलास में पुलिस थाने में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच की गिलास को आधा भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे सम्बंधितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। गिलास के तैयार घोल में मध्यस्थ श्री कुन्दनराम के जीन्स पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सम्बंधितगण ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी.-1 एवं पी.-2 अंकित किया गया। मध्यस्थ श्री कुन्दनराम की उक्त जीन्स पैन्ट की दाहिनी जेब जहां आरोपी डालसिंह पटवारी से रिश्वत राशि प्राप्त कर रखी गई थी, पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर उक्त जीन्स पैन्ट को एक कपडें की थैली में सील मोहर कर थैली में प्रकरण का विवरण अंकित करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी अंकित कर कब्जा ब्यूरो लिया गया।

परिवादी श्री सिद्धराज सिंह के बकाया कार्य से सम्बंधित कागजात जो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री डालसिंह पटवारी से पूर्व में उनके निवास स्थित कार्यालय से रूबरू गवाहान कब्जे लिये थे, उक्त कागजात का अवलोकन किया गया। कागजात पर पृष्ठ संख्या 1 से 17 तक क्रम संख्या अंकित कर प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान से हस्ताक्षर करवाकर शामील रनिंग नोट किये गये।

प्रकरण में अन्य वांछित आरोपी श्री विकास पुत्र श्री पवन, जाति धानक, निवासी धन्धेउं रामसिंह, तहसील राजगढ, जिला चुरू जो आरोपी श्री डालसिंह पटवारी का प्राईवेट कार्य सहायक है, जिसने पूर्व में परिवादी से परिवादी के कार्य को आरोपी श्री डालसिंह पटवारी से करवाने हेतु यूपीआई के माध्यम से 2000 रूपये प्राप्त किये एवं मांग सत्यापन के दौरान उक्त 2000 रूपये की राशि प्राप्त करना स्वीकार किया तथा आज ट्रैप की कार्यवाही की भनक लगने से रूहपोश हो जाना पाया गया।

अतः अब तक की कार्यवाही से आरोपी 1. श्री डालसिंह पुत्र श्री ताराचंद, उम्र 38 साल, जाति मेघवाल, निवासी इन्द्रपुरा, पोस्ट बींजावास, तहसील हमीरवास, जिला चुरू हाल पटवारी, पटवार मण्डल बारू, अतिरिक्त प्रभार राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर एवं मध्यस्थ 2. श्री कुन्दना राम पुत्र श्री मनसुख राम, उम्र 39 साल, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का वास, बाप, जिला जोधपुर तथा सहआरोपी 3. श्री विकास पुत्र श्री पवन, जाति धानक, निवासी धन्धेउं रामसिंह, तहसील राजगढ, जिला चुरू हाल प्राईवेट कार्य सहायक के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 एवं 120बी भा.द.सं. का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। वांछित आरोपी श्री विकास रूहपोश होने से गिरफ्तारी नहीं हो पाई।

अतः अब तक की कार्यवाही से आरोपी 1. श्री डालसिंह पुत्र श्री ताराचंद, उम्र 38 साल, जाति मेघवाल, निवासी इन्द्रपुरा, पोस्ट बींजावास, तहसील हमीरवास, जिला चुरू हाल पटवारी, पटवार मण्डल बारू, अतिरिक्त प्रभार राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर एवं मध्यस्थ 2. श्री कुन्दना राम पुत्र श्री मनसुख राम, उम्र 39 साल, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का वास, बाप, जिला जोधपुर को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। बरामदगी रिश्वति राशि एवं हाथ धोवन की कार्यवाही की फर्द मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर शामिल रनिंग नोट की गई।

वक्त 4.00 पी.एम. पर आरोपीगण श्री डालसिंह पटवारी एवं श्री कुन्दनाराम मध्यस्थ को ब्यूरो जाब्ता श्री अर्जुनसिंह कानि., श्री भवरलाल कानि., श्री राजेन्द्रसिंह कानि., श्री प्रकाश कानि. एवं श्री गणेश कुमार कानि. को मय ट्रैप बॉक्स, जब्तशुदा प्रादर्श इत्यादि सुपुर्द कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों गवाहान, परिवादी श्री सिद्धराज सिंह, श्रीमति मधुमति हैड कानि. एवं श्री मेघराज हैड कानि. के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री खमाराम कानि. के घटनास्थल का नक्शा मौका मूर्तिब करने हेतु पुलिस थाना बाप से आरोपी श्री डालसिंह पटवारी के निवास स्थान के लिए रवाना हुआ।

वक्त 4.35 पी.एम. पर परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका रूबरू दोनों गवाहान के समक्ष घटनास्थल पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री मेघराज हैड कानि. की हस्तलिपि में मूर्तिब करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर घटनास्थल का नक्शा मौका शामिल रनिंग नोट किया

गया। बाद उपरोक्त के मय हमरायन के घटनास्थल से रवानाशुदा पुनः पुलिस थाना बाप उपस्थित आया तथा आरोपीगण एवं ट्रैप बॉक्स, जब्तशुदा प्रादर्श इत्यादि जिम्मे स्वयं लिए।

वक्त 4.50 पी.एम. पर बाद पूछताछ के आरोपी श्री डालसिंह पुत्र श्री ताराचंद, उम्र 38 साल, जाति मेघवाल, निवासी इन्द्रपुरा, पोस्ट बींजावास, तहसील हमीरवास, जिला चुरू हाल पटवारी, पटवार मण्डल बारू, अतिरिक्त प्रभार राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.सं. से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

वक्त 05.10 पी.एम. पर बाद पूछताछ के मध्यस्थ श्री कुन्दना राम पुत्र श्री मनसुख राम, उम्र 39 साल, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का वास, बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.सं. से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

वक्त 5.50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम का काला बैग मय डायरियों एवं दुकान की चाबी श्री कुन्दनाराम के सगे भाई श्री बुद्धाराम जो उपस्थित थाने आये हैं, को मध्यस्थ कुन्दनाराम के कहे अनुसार सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामील रनिंग नोट की गई।

वक्त 06.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री सिद्धराज सिंह, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व आरोपीगण श्री डालसिंह पटवारी एवं श्री कुन्दनाराम मध्यस्थ सहित ब्यूरो जाब्ता के मय ट्रेप बाक्स मय, कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर, प्रिन्टर मय लेपटॉप, ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली मय दस्तावेजात एवं ट्रेप कार्यवाही में श्री डालसिंह पटवारी से सम्बंधित दोनों हाथों के धोवन का जब्तशुदा शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, मार्क एल.एच.1, एल.एच. 2, आरोपी के निकर की दाहिनी जेब के धोवन का सिल्डशुदा सैम्पल मार्क एन.1, एन.2, आरोपी के निकर का सील्डशुदा पैकेट मार्क एन, वीवो कम्पनी का टचस्क्रिन मोबाईल मय दो सिम, आरोपी डालसिंह का आधार कार्ड एवं विभागीय परिचय-पत्र मय पर्स मय सदिग्ध राशि 9000 रूपये तथा श्री कुन्दनाराम मध्यस्थ के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, वीवो कम्पनी का टचस्क्रिन मोबाईल मय एक सिम, नोकिया कम्पनी का कीपेड मोबाईल मय एक सिम, श्री कुन्दनाराम का आधार कार्ड एवं एक डायरी जिसमें संदिग्ध लेन-देन इन्द्राज है, संदिग्ध राशि 54090 रूपये, मध्यस्थ के जीन्स पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब के धोवन का सील्डशुदा सैम्पल मार्क पी.1, पी.2 एवं मध्यस्थ के जीन्स पेन्ट का सील्डशुदा पैकेट मार्क पी तथा शील्ड शुदा रिश्वति राशि 5,000 रूपये के जरिये सरकारी वाहनों के पुलिस थाना बाप से कार्यालय एसीबी एसयू जोधपुर हेतु रवाना हुआ। नकल रपट आमद व रवानगी रोजनामचा आम पुलिस थाना बाप के थाना इन्चार्ज से प्रिन्ट ली जाकर शामिल रनिग नोट की गई।

वक्त 09.00 पी.एम पर दर्ज रहे कि उपरोक्त फिकरा का पुलिस थाना बाप से रवानाशुदा समय 8.35 पीएम पर परिवादी श्री सिद्धराज सिंह को दिनांक 01.03.2022 को सुबह 8 बजे उपस्थित कार्यालय आने की हिदायत कर एवं उसके कहे अनुसार रिश्तेदार के पास रात्रि विश्राम हेतु पुलिस लाईन जोधपुर ग्रामीण के पास छोड़कर शेष हमरायन मय आरोपीगण के कार्यालय एसीबी एसयू पहुंचा।

वक्त 09.05 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 01.03.2022 को समय 8 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया।

वक्त 09.10 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री डालसिंह पटवारी से सम्बंधित दोनों हाथों के धोवन का जब्तशुदा शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, मार्क एल.एच.1, एल.एच. 2, आरोपी के निकर की दाहिनी जेब के धोवन का सिल्डशुदा सैम्पल मार्क एन.1, एन.2, आरोपी के निकर का सील्डशुदा पैकेट मार्क एन, वीवो कम्पनी का टचस्क्रिन मोबाईल मय दो सिम, आरोपी डालसिंह का आधार कार्ड एवं विभागीय परिचय-पत्र मय पर्स मय संदिग्ध राशि 9000 रूपये तथा श्री कुन्दनाराम मध्यस्थ के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, वीवो कम्पनी का टचस्क्रिन मोबाईल मय एक सिम, नोकिया कम्पनी का कीपेड मोबाईल मय एक सिम, श्री कुन्दनाराम का आधार कार्ड एवं एक डायरी जिसमें संदिग्ध लेन-देन इन्द्राज है, संदिग्ध राशि 54090 रूपये, मध्यस्थ के जीन्स पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब के धोवन का सील्डशुदा सैम्पल मार्क पी.1, पी.2 एवं मध्यस्थ के जीन्स पेन्ट का सील्डशुदा पैकेट मार्क पी तथा शील्ड शुदा रिश्वति राशि 5,000 रूपये को श्री मेघराज हैड कानि. 63 को सुपुर्द कर मालखाना

रजिस्टर में ईन्द्राज करवा कर जमा मालखाना करवायें गये। साथ ही तहसीलदार बाप को आरोपी श्री डालसिंह के सेवा विवरण हेतु जरिये ई–मेल तहरीर प्रेषित की गई।

वक्त 09.15 पी.एम पर आरोपी श्री डालसिंह पटवारी एवं मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम के स्वास्थ्य परीक्षण, कोविड परीक्षण तथा कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नही होनें के कारण रात्रि राहदारी हेतु पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में रखनें हेतु पृथक–पृथक तहरीर जारी कर श्री अयूब खान, उप निरीक्षक पुलिस को तहरीरे सुपुर्द कर आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण, कोविड परीक्षण करवाने तथा पुलिस थाना उदयमन्दिर में जमा करवानें हेतु श्री अयूब खान उप निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री गणेश कानि., श्री अर्जुनसिंह कानि., श्री देवाराम कानि. को सरकारी वाहन मय चालक खम्माराम सहित रवाना किया गया।

वक्त 10.30 पी.एम. पर श्री अयूब खॉ उप निरीक्षक मय ब्यूरों स्टाफ के मय सरकारी वाहन मय चालक खम्माराम के आरोपीगण का राजकीय चिकित्सालय सेटेलाईट पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण, कोविड परीक्षण करवाया जाकर आरोपीगण को पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में जमा करवाकर तथा श्री देवाराम कानि. को आरोपीगण की निगरानी हेतु पुलिस थाना उदयमन्दिर छोडकर उपस्थित आये तथा तहरीरें प्रस्तुत की। तहरीरे शामिल रनिंग नोट की गई।

दिनांक 01.03.2022 वक्त 08.05 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री सिद्धराज सिंह कार्यालय हाजा उपस्थित आयें है।

वक्त 08.10 ए.एम. पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री सिद्धराज सिंह एवं आरोपी श्री डालसिंह पटवारी तथा विकास कार्य सहायक के मध्य दिनांक 25.02.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालाप कों दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में प्रकाश कानि. नम्बर 265 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप श्री प्रकाश कानि. से फर्द मुर्तिब करवाई गई। परिवादी ने वार्तालाप में एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री डालसिंह पटवारी एवं श्री विकास कार्य सहायक प्राईवेट व्यक्ति की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की पांच सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की चार सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व तीन सीडी आरोपीगण की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई सीडीया मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को जमा करवानें हेतु सुपर्द की गई।

वक्त 11.05 ए.एम. पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री सिद्धराज सिंह एवं आरोपी श्री डालसिंह पटवारी के मध्य दिनांक 28.02.2022 को रिश्वती राशि लेन–देन रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालाप कों दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में प्रकाश कानि. नम्बर 265 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप श्री प्रकाश कानि. से फर्द मुर्तिब करवाई गई। परिवादी ने वार्तालाप में एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री डालसिंह पटवारी की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की पांच सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की चार सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व तीन सीडी आरोपीगण की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई सीडीया मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को जमा करवानें हेतु सुपर्द की गई।

वक्त 12.05 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी की कोई आवश्यकता नही होनें के कारण गवाहान एवं परिवादी श्री सिद्धराज सिंह को कार्यालय से रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री सिद्धराज सिंह पुत्र श्री रतनाराम जाति बिश्नोई उम्र 32 वर्ष निवासी गोदारो की ढाणी ग्राम राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर की पुश्तैनी सामलाती जमीन में नाम शुद्धिकरण की एवज में दिनांक 25.02.2022 कों आरोपी श्री डालसिंह पटवारी पटवार मण्डल बारू अतिरिक्त

प्रभार राणेरी द्वारा 5000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना, आरोपी श्री डालसिंह द्वारा परिवादी श्री सिद्वराज सिंह सें दिनांक 28.02.2022 को दौरानें रिश्वति राशि लेन देन 5000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपने पहनें हुए निकर के दाहिनी जेब में रखना, उसके बाद परिवादी के सामनें ही उक्त रिश्वति राशि 5000 रूपयें अपनें मकान मालिक श्री कुन्दनाराम को देना, श्री कुन्दनाराम द्वारा 5000 रूपयें रिश्वति राशि प्राप्त कर अपनी जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखकर रिश्वति राशि अपनें पास ही स्थित निवास स्थान में रख देना, दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी डालसिंह के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन हल्का गुलाबी व बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन झाईनुमा प्राप्त होना, आरोपी श्री डालसिंह के पहने हुए निकर की दाहिनी जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त होना तथा मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन हल्का गुलाबी व बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन झाईनुमा प्राप्त होना, मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त होना, रिश्वति राशि 5000 रूपयें रूबरू गवाहान के मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम से उसके निवास स्थान से बरामद होना, पटवारी श्री डालसिंह के सहायक श्री विकास द्वारा परिवादी श्री सिद्वराज सिंह से उसके काम की एवज में पूर्व में 2000 रूपयें फोन पे के माध्यम से प्राप्त करना, व दिनांक 25.02.2022 को दौराने मांग सत्यापन 2000 रूपयें परिवादी से प्राप्त करनें की स्वीकृति की पुष्टि होना, उपरोक्त तीनों आरोपीगण श्री डालसिंह पटवारी, मध्यस्थ श्री कुन्दनाराम व सहायक श्री विकास द्वारा परिवादी श्री सिद्वराज सिंह के पुश्तैनी सामलाती जमीन में नाम शुद्विकरण की एवज में मिलीभगत करके रिश्वति राशि प्राप्त करनें के आरोप प्रमाणित पाये गये है। श्री विकास जो आरोपी डालसिंह पटवारी का प्राईवेट कार्य सहायक है, वर्तमान में अपनें निवास स्थान से रूहपोष है जिसकी गिरप्तारी शेष है।

अतः आरोपी 1. श्री डालसिंह पुत्र श्री ताराचंद, उम्र 38 साल, जाति मेघवाल, निवासी इन्द्रपुरा, पोस्ट बींजावास, तहसील हमीरवास, जिला चुरू हाल पटवारी, पटवार मण्डल बारू, अतिरिक्त प्रभार राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर एवं मध्यस्थ 2. श्री कुन्दना राम पुत्र श्री मनसुख राम, उम्र 39 साल, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का वास, बाप, जिला जोधपुर तथा सहआरोपी 3. श्री विकास पुत्र श्री पवन, जाति धानक, निवासी धन्धेउं रामसिंह, तहसील राजगढ, जिला चुरू हाल प्राईवेट कार्य सहायक के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित है।

(डा0 दुर्गसिंह राजपुरोहित)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री डालसिंह, पटवारी, पटवार मण्डल बारू अतिरिक्त प्रभार राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर एवं 2. श्री कुन्दनाराम पुत्र श्री मनसुखराम निवासी मेघवालों का बास, बाप जिला जोधपुर (मध्यस्थ) एवं 3. श्री विकास पुत्र श्री पवन निवासी धन्धेउं रामसिंह, तहसील राजगढ़, जिला चुरू हाल कार्य सहायक प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 66/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 604-08 दिनांक 01.03.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

1.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।